RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 6846/2026

S. Seethalakshmi W/o M. Devendra, R/o Flat No. 303, Golden Palace, Krishna Marg, Jaipur, Rajasthan.
(At Present Accused Is Lodged In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

Cbi, Through Special Pp

----Respondent

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

For Petitioner(s)	:	Mr. Swadeep Hora
For Respondent(s)	:	Mr. Pradeep Kumar, Special PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

12/05/2026

प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या RC 030 2025 A 0015 अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8, 9, 10 एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.02.2026 के माध्यम से विस्तृत आदेश कर खारिज किया गया है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार होने के पश्चात यदि परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ हो या नए तथ्य आए हों ऐसी स्थिति में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

(Uploaded on 13/05/2026 at 10:49:54 AM)
(Downloaded on 13/05/2026 at 12:09:47 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध दिनांक 22.01.2026 को आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ और वह दिनांक 26.11.2026 से अभिरक्षा में है। तब से प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई है और यदि अब अभियोजन स्वीकृति जारी किया जाना माना भी जावे और अभियोजन स्वीकृति जारी करने में जो विलंब हुआ है उक्त विलंब के आधार पर परिवर्तित परिस्थितियों में प्रार्थीया/अभियुक्ता जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अनुसार अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित किए जाने की प्राप्ति की दिनांक से 3 माह में अभियोजन स्वीकृति जारी किया जाना आवश्यक होता है और उक्त अवधि को अधिकतम एक माह और बढ़ाया जा सकता है। अतः 4 माह में अभियोजन स्वीकृति जारी किया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में 4 माह तक अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं किए जाने से प्रार्थीया/अभियुक्ता के अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे हैं और उसकी स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठ ने अभियोजन स्वीकृति निर्धारित समय में जारी नहीं होने की स्थिति में अभियुक्त को जमानत प्राप्त करने का अधिकारी माना है। माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विभिन्न विनिश्चयों में अभिनिर्धारित सिद्धांतों के आधार पर अभियोजन स्वीकृति समय पर जारी नहीं किए जाने के आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता पर यह आरोप है कि उसने चार्टेट अकांउटेंट सहअभियुक्त विजय गोयल के माध्यम से गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स तथा डवलपर्स प्रा. लि. के निदेशक से रिश्वत की राशि ली। गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स तथा डवलपर्स प्रा. लि. के निदेशक सुमेर सिंह सैनी का जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.04.2026 के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य सहअभियुक्तगण सुहानी मेहरवाल व मनीष शर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया

(Uploaded on 13/05/2026 at 10:49:54 AM)
(Downloaded on 13/05/2026 at 12:09:47 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

जा चुका है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के घर के बाहर उसके राजकीय वाहन से रिश्वत की राशि बरामद होना बताया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के अनन्य कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद नहीं हुई है। प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा जो काला बैग सहअभियुक्त विजय गोयल से लिया गया था, उस काले बैग में रुपये हों और वही काला बैग उसके राजकीय वाहन से बरामद हुआ हो इस तथ्य को अभियोजन पक्ष की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता महिला है। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2026 के द्वारा प्रार्थीया/अभियुक्ता का स्थानांतरण जयपुर से जबलपुर कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने से वह इस प्रकरण में गवाहों को डरा धमका सकती हो इस तथ्य की संभावना नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के ससुर Thiru A.S. Muthusamy 89 वर्षीय वृद्ध हैं। वह दिनांक 16.02.2026 से वर्तमान समय तक अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी देखरेख करने वाला प्रार्थीया/अभियुक्ता के अतिरिक्त और कोई नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध प्रसंज्ञान नहीं हुआ है। अभियोजन साक्षी परीक्षित होने शेष हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किए हैं–

1. Manish Agarwal Vs. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 10190/2021; order dated 13.08.2021.

2. Surendra Kumar Vs. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 12032/2025; order dated 08.10.2025.

3. Jagram Meena Vs. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 6828/2025; order dated 14.08.2025.

(Uploaded on 13/05/2026 at 10:49:54 AM)
(Downloaded on 13/05/2026 at 12:09:47 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

4. Jagat Singh Tanwar Vs. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 14093/2025; order dated 15.12.2025.

5. Bharat Kumar Haritwal Vs. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. 3rd Bail Application No. 10669/2018; order dated 08.10.2018.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

6. Basant Singh Rajawat Vs. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. 3rd Bail Application No. 8806/2018; order dated 06.08.2018.

7. Neeraj Kumar Pawan Vs. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Second Bail Application No. 1166/2017; order dated 27.01.2017.

8. Dr. Banshidhar Kumawat Vs. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 3294/2020; order dated 06.03.2020.

9. Hari Shankar Sharma Vs. State & Anr.; S.B. Criminal Misc. 3rd Bail Application No. 6806/2014; order dated 23.07.2014.

10. Deewan Singh Vs. State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 16860/2019; order dated 19.12.2019.

11. Yogesh Mittal Versus Enforcement Directorate 2018 SCC Online Del 6565.

12. Manjeet Singh Versus State of Punjab; 2023 SCC Online P&H 7136.

विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता आयकर अपीलीय अधिकरण की न्यायिक सदस्य थी और उसने मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स तथा डवलपर्स प्रा. लि. के पक्ष में निर्णय पारित कर 90 करोड़ की पैनल्टी माफ कर दी और उसके लिए उसने

(Uploaded on 13/05/2026 at 10:49:54 AM)
(Downloaded on 13/05/2026 at 12:09:47 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

सहअभियुक्त विजय गोयल चार्टेट अकाउंटेट के माध्यम से 30,00,000/— रुपये की रिश्वत राशि ली, जो उसके निवास स्थान पर उसके सरकारी वाहन में पाए गई। जिस काले बैग में वह रिश्वत की राशि सहअभियुक्त विजय गोयल से लेकर आई उक्त रिश्वत की राशि उसके निवास स्थल पर राजकीय वाहन से ही पाई गई, इस तथ्य की पुष्टि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से व राजकीय वाहन चालक मुकेश कुमार के बयान अंतर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से होती है। प्रार्थीया/अभियुक्ता ने एक नैकलेस व आई—फोन 17 प्रो मैक्स 512 जीबी उपहार के रूप में रिश्वत के तौर पर लिया, जो कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के कब्जे से बरामद हुए हैं। सुमेर सिंह व अन्य सहअभियुक्तगण जिनकी जमानत विचारण न्यायालय से हुई है उनका प्रकरण, प्रार्थीया/अभियुक्ता के प्रकरण से भिन्न प्रकृति का है। केवल मात्र महिला होने के आधार पर वह जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारिणी नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के ससुर की देखभाल उसके पति या अन्य सदस्य नहीं कर रहे हो ऐसा कोई तथ्य प्रार्थीया/अभियुक्ता ने नहीं बताया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य, अभियोजन की प्रकृति, अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित कृत्य, अभियुक्त द्वारा परिवादी, गवाहों को डराने धमकाने का युक्तियुक्त संदेह, विचारण के दौरान अभियुक्त की युक्तियुक्त उपस्थिति की संभावना, अभियुक्त के आचरण, राज्य और जनता का हित, अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्टया यह युक्तियुक्त आधार है या नहीं कि अभियुक्त ने आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का किया है या उसके भागने की

(Uploaded on 13/05/2026 at 10:49:54 AM)
(Downloaded on 13/05/2026 at 12:09:47 PM)

संभावना तो नहीं है तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को न्यायालय को दृष्टिगत रखना होता है।

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रार्थीया/अभियुक्ता आयकर अपीलीय अधिकरण में न्यायिक सदस्य थी और उस पर यह आरोप है कि उसने मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स तथा डवलपर्स प्रा. लि. के पक्ष में निर्णय पारित कर 90 करोड़ रुपये की पैनल्टी माफ कर दी और रिश्वत की राशि 50,00,000/– रुपये में से 30,00,000/– रुपये प्रार्थीया/अभियुक्ता ने लिए जो उसके निवास स्थान पर उसके सरकारी वाहन में पाए गए। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के कब्जे से उसके घर की तलाशी के दौरान एक नैकलेस और आई फोन 17 प्रो–मैक्स 512 जीबी की बरामदगी हुई है जो उपहार के रूप में रिश्वत के तौर पर उसके द्वारा लिया गया है। रिश्वत की राशि 30,00,000/– रुपये प्रार्थीया/अभियुक्ता के निवास पर राजकीय वाहन में मिले इस तथ्य को उसके राजकीय वाहन के चालक मुकेश कुमार ने धारा 183 भरतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में बताया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता ने आयकर अपीलीय अधिकरण की न्यायिक सदस्य रहते हुए उसके समक्ष लंबित गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स तथा डवलपर्स प्रा. लि.के के प्रकरण को उनके पक्ष में निर्णय पारित करने की एवज में रिश्वत की राशि 30,00,000/– रुपये ली और रिश्वत के तौर पर उपहार के रूप में नैकलेस और आई फोन 17 प्रो–मैक्स 512 जीबी लिया, जो उसके कब्जे से बारामद हुआ। Niranjan Hemchandra Sashittal v. State of Maharashtra (2013) 4 SCC 642 with Manoj Narula V. Union of India; (2014) 9 SCC 1 तथा Jatin Salwan Vs. CBI; 2026:PHHC:014657 विनिश्चय में अभिनिर्धारित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत उचित प्रतीत नहीं होता है।

(Uploaded on 13/05/2026 at 10:49:54 AM)
(Downloaded on 13/05/2026 at 12:09:47 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

जहां तक प्रार्थीया/अभियुक्ता के विलंब से अभियोजन स्वीकृति जारी किए जाने का प्रश्न है। प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से जो विनिश्चय प्रस्तुत किए गए हैं उन विनिश्चयों में यह आज्ञापक प्रावधान नहीं रखा गया है कि यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत निर्धारित 4 माह की समयावधि में अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की जाती है तो अभियुक्त को जमानत का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जावेगा तथा वह आज्ञापक होगा। प्रत्येक प्रकरण में अभियुक्त के महिला होने या रोगी होने के आधार पर अजमानतीय अपराध में उसे जमानत पर रिहा किए जाने का आज्ञापक प्रावधान हो इस तथ्य को भी प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के राजकीय वाहन के चालक मुकेश कुमार ने धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध साक्ष्य दिए। उसके तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं। इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता का जयपुर से जबलपुर हस्तांतरण होने की स्थिति में उसके द्वारा गवाहों के डराने या धमकाने का अंदेशा नहीं हो और वह प्रकरण के विचारण को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करेगी। प्रार्थीया/अभियुक्ता के ससुर की देखरेख उसके पति द्वारा या अन्य सदस्य द्वारा नहीं की जा रही हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली में नहीं आया है। सहअभियुक्त सुमेर सिंह व अन्य सहअभियुक्तगण जिनका जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, उनके प्रकरणों के तथ्य और परिस्थितियां, प्रार्थीया/अभियुक्ता के प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के समान नहीं है और उनकी भूमिका प्रार्थीया/अभियुक्ता की भूमिका के समान नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में सहअभियुक्तगण की जमानत लिए जाने के आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत उचित प्रतीत नहीं होता है।

(Uploaded on 13/05/2026 at 10:49:54 AM)
(Downloaded on 13/05/2026 at 12:09:47 PM)

परिणामतः प्रार्थीया/अभियुक्ता **एस. सीतालक्ष्मी पत्नी एम. देवेन्द्रे** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

चूंकि प्रार्थीया/अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी हो चुकी है, ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण में नजदीक तारीख पेशी देकर प्रकरण के त्वरित निस्तारण का प्रयास करे व अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित आदेशिका लिखे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /105

(Uploaded on 13/05/2026 at 10:49:54 AM)
(Downloaded on 13/05/2026 at 12:09:47 PM)